न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-रिछपाल सिह बुरडक आर०ए०एस०

अपील संख्या :- **17/2019**

अपीलान्ट :-

1. मोहम्मद युनुस पुत्र दीन मोहम्मद जाति देशवाली निवासी शेखा बासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर

रेस्पोडेन्ट :-

1. नायब तहसीलदार ,डीडवाना।
2. पटवारी हल्का दौलतपुरा

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री सैयद अफताफ हुसैन अधिवक्ता, अपीलान्ट की और से।

अपील विरूद्ध आदेश मुकदमा संख्या 03/2016 दिनांक 28.01.2019 नायब तहसीलदार, डीडवाना अन्तर्गत धारा 91 राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- **24.03.2021**

{1} यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार डीडवाना के प्रकरण संख्या 03/2016 बअनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का दौलतपुरा बनाम युनुस खान पुत्र दीन मो० में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2019 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का दौलतपुरा ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार डीडवाना को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने ग्राम शेखाबासनी के खसरा नंबर 218 किस्म भूमि बारानी 1 कुल रकबा 03.19 बीघा में से 02 बीघा 03 बिस्वा भूमि पर चार दिवारी बना कर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा शेखाबासनी के खसरा नंबर 218 में रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम पर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अपीलान्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा शेखाबासनी के खसरा नंबर 218 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 49/– अक्षरे उनचास रूपये कायम किया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 01.04.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 01.04.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया।अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/21/335 दिनांक 08.02.2021 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

{3} वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी । वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि :-

{3} 1. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है ,अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 2. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरित निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है , अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 3. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय अधीन अपील पारित करने में घोर त्रुटि की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं ।

{3} 4. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/अपीलार्थी ने अपना भौतिक रूप से कब्जे के संबध में दस्तावेज पेश किये थे तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/अपीलार्थी की और से प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर दिनांक 28.02.2016 को पटवारी हल्का दौलतपुरा को व भू-अभिलेख निरीक्षक दौलतपुरा को आदेशित किया कि वे संयुक्त रूप से खसरा नंबर 218 में मौके पर जाकर अतिक्रमण की यथार्थ स्थिति वास्तविक अतिक्रमित क्षेत्र का नाप क्या है, कब से किया इत्यादि की स्थिति सहित मौका रिपोर्ट पेश करे। उक्त आदेश होने के उपरान्त प्रकरण की पत्रावली मौका रिपोर्ट में चलती रही,परन्तु हल्का पटवारी अथवा भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच रिपोर्ट पेश नही की। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णय से पूर्व प्राप्त होने वाली वास्तविक एवं भौतिक रिपोर्ट नहीं होने के बावजूद आलौच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 5. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/अप्रार्थी ने उपस्थित होकर वादग्रस्त खेत खसरा नंबर 2018 किस्म बारानी प्रथम में 3.19 बीघा भूमि में से 02 बीघा 03 बिस्वा भूमि पर चार दिवारी बना कर वर्षो पहले काबिज होने के कथन व जवाब प्रस्तुत किया । अपीलार्थी के कब्जें में उक्त भूमि सम्वत् 2010 से काबिज स्व०रामू के वारिसान द्वारा बाटें पर काश्त के रूप में अपीलांट को भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द किया था तथा निरन्तर अपीलार्थी स्व० रामू पुत्र रूपा नायक के वारिसान द्वारा कब्जा सुपुर्द करने के पश्चात् से निरन्तर काबिज व काश्त हैं, उक्त भूमि पर अपीलांट रामु के वारिसान की सहमति से चारों तरफ दीवार बनाकर काश्त करता आ रहा है तथा वादग्रस्त भूमि महकमा कस्टोडियन में दर्ज होने के कारण स्व०रामू के वारिसान ने न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना के समक्ष घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 83/2019 बअनवान जीवणी वगैरह बनाम मो० युनुस प्रस्तुत किया था।जिसका निर्णय दिनांक 17.06.2019 को होकर जीवणी देवी पत्नी स्व० रामुराम , सांवरमल, भारमल, श्रवणराम पुत्र स्व० रामुराम ,उगमा देवी,मंजु देवी पुत्री स्व० रामुराम के नाम ग्राम शेखाबासनी के खसरा नंबर 218 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा खातेदारी भूमि घोषित कर दी गयी है एवं इसका नामान्तरण संख्या 565 दिनांक 04.10.2019 को स्वीकृत होकर इसका जमाबंदी में अमल भी हो चुका है। इस प्रकार यह भूमि राजकीय भूमि न होकर निजी खातेदारी भूमि में दर्ज हो चुकी है। वादग्रस्त भूमि पर भौतिक रूप से हकीकी मालिक के रूप में रामु पुत्र रूपा काबि व काश्त रहा उसके पश्चात उक्त भूमि पर रामु के वारिसान उसकी पत्नी जीवणी,पुत्रगण सांवरमल , भारमल , श्रवणराम व पुत्रिया उगमा देवी , मंजू देवी बहैसियत मालिक है। इस प्रकार प्रकरण में रामु के वारिसान को पक्षकार नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

बनाये जाने के कारण धारा 91 की कार्यवाही विधि अनुसार दुषित होने से खारिज होने योग्य है।

वक्त बहस वकील अपीलांट ने फार्म नंबर 3 (नियम 36) के साथ उक्त वाद संख्या 83/2019 के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी व खतोनी पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया।

{4} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबधं में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.01.2019 को हुआ है तथा जिसकी जानकारी दिनांक 22.03.2019 को नकल प्राप्त करने से हुयी है, इससे पूर्व उक्त आदेश की जानकारी प्रार्थी को कभी भी नही हुई है। प्रार्थी ने आगे निवेदन किया है कि वह किडनी के रोग के ग्रस्त है अतः अपील में हुयी देरी माफ योग्य हैं जिससे अवधि दिनांक 28.01.2019 से 22.03.2019 तक की समयावधि को कण्डोन किये जाने के आदेश फरमावे। अपीलार्थी को जानकरी का अभाव होने से तथा स्वास्थय कारणों को देखते हुये , सहानूभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अवधि दिनांक 28.01.2019 से 22.03. 2019 तक की समयावधि को कण्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{5} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। वक्त बहस वकील अपीलांट द्वारा स्व०रामू के वारिसान द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना के समक्ष घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा के वाद संख्या 83/2019 बअनवान जीवणी वगैरह बनाम मो० युनुस के निर्णय दिनांक 17.06.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की। जिसमें सहायक कलक्टर, डीडवाना द्वारा निम्न आदेश कारित किया गया :-

"ग्राम शेखाबासनी पटवार मंडल दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर के खसरा नंबर 218 रकबा 3.19 बीघा किस्म बारानी प्रथम में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमद दरामद हेतु तहसीलदार डीडवाना को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।"

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

इस प्रकार ग्राम शेखाबासनी के खसरा नंबर 218 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम वादीगण जीवणी देवी पत्नी स्व० रामुराम , सांवरमल, भारमल, श्रवणराम पुत्र स्व० रामुराम ,उगमा देवी,मंजु देवी पुत्री स्व० रामुराम के नाम खातेदारी भूमि घोषित होकर वादीगण राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी में दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार उक्त भूमि वर्तमान में खातेदारी भूमि दर्ज हो चुकी है एव राजकीय भूमि नही रही है। अतः अपीलान्ट के विरूद्व न्यायालय नायब तहसीलदार डीडवाना द्वारा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पारित आदेश अपास्त किया जाना उचित प्रतीत है।

-:आदेश:-

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.01.2019 उपर्युक्त विवेचनानुसार खारिज किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है।

(रिछपाल सिंह बरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 24. 03. 2021 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)